कोई कार्य योजना बनाने का विचार रखती है ; और

(च) यदि हां, तो कब तक ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) से (च) उपलब्ध सूचना के अनुसार, चण्डीगढ़ में अवैध रूप से कोई विदेशी नागरिक नहीं रह रहा है । फिर भी बताया गया है कि कुछ विदेशी नागरिक, जिनमें अधिकांशत: पाकिस्तानी तथा बंगलादेशी नागरिक हैं, अवैध रूप से दिल्ली में रह रहे हैं । उपलब्ध सूचना के अनुसार, 31 मार्च, 1991 तक दिल्ली में अवध रूप से 157 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे थे । जहां तक बंगलादेशी नागरिकों का संबंध है, किसी प्रकार के विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि वे भारत में चोरी-छुपे प्रवेश करते हैं तथा स्थानीय जनता के साथ मिल जाते हैं । जब कभी भी किसी विदेशी नागरिक का निर्धारित अवधि से अधिक समय तक ठहरने के बारे में पता लगता है, विदेशी नागरिक अधिनियम के तहत, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा उन पर कानूनी कार्रवाई करने अथवा उसको स्वदेश लौटाने की कार्रवाई की जाती है, उनको इस प्रकार की कार्रवाई करने की शक्तियां प्रदत्त की गई है ।

कश्मीर प्रवासियों का ज्ञापन

497. **श्री राम जेठमलानी :**

डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू और कश्मीर प्रवासियों के प्रतिनिधिमंडल ने हाल में अपनी मांगों और उन्हें पेश आ रही असुविधाओं के सम्बन्ध में सरकार को एक ज्ञापन दिया था ;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त ज्ञापन में लिखित उनकी मुख्य-मुख्य मांगें क्या हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कश्मीर के प्रवासियों ने यह भी अनुरोध किया है कि कश्मीर में ही किसी एक ही स्थान पर उनके जीवन-ज्ञापन सम्बन्धी सुविधाएं मुहैया कराकर रहने की व्यवस्था कर दी जाये ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई कार्य योजना बनाकर कश्मीरी प्रवासियों को कश्मीर में ही रहने की व्यवस्था करेगी ;

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) कश्मीर के प्रवासी विभिन्न संगठनों के माध्यम से अपनी मांगें भेजते रहे हैं ।

(ख) प्रवासियों की अधिकांश मांगें उनके पुनर्वास और राहत सहायता बढ़ाने से संबंधित है ।

(ग) से (च) कुछ प्रवासियों ने पर्याप्त सुरक्षा और जीवन यापन संबंधी सुविधाएं मुहैया कराने के साथ घाटी में बसाने का सुझाव दिया है । सरकार की नीति यह है कि घाटी में सामान्य स्थिति बहाल होते ही जल्दी से जल्दी उन्हें वहां वापस भेजा जाए और इसके लिए सरकार सभी संभव प्रयास कर रही है ।

Grants-in-aid to Voluntary Organisations for Communal Harmony

498. MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the details of grants-in-aid to voluntary organisations provided for communal harmony during the last three years and the current year, organisation-wise; and

(b) whether the aid has been properly utilised?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) Details of grants-in-aid given by Ministry of Home Affairs to voluntary organisations for activities of national integration and communal harmony during the years 1988-89, 1989-90, 1990-91 and 1991-92 (upto August, 1991) are given in the Annexure. [*See* Appendix CLX Annexure No. 25].

(b) Proper utilisation of grants-in aid is ensured through compliance of its terms and conditions prescribed by the Ministry of Home Affairs.

Opening of Post Offices and Sub-Post Offices in the country

499. MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the criteria for opening Post Offices and Sub-Post Offices in the country;

(b) the details of villages in U.P. which fulfill the criteria but are without Post Offices/Sub Post Offices alongwith the reasons therefor; and

(c) by when the same are likely to be opened in villages of U.P.?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) The criteria for opening post offices and sub post offices is given in the statement.

(b) and (c) Having regard to the number of villages in U.P. without post offices which presently is about 95,500 it is not possible to furnish details in this regard. However, if is the department's effort to expand the postal network to the extent possible, with due regard to resource constraints and the departmental norms for opening of post offices in rural areas. During the year 1991-92 for U.P. a target for opening 500 post offices in rural areas has been fixed.

Statement

The following norms for opening branch post offices effective from 1-4-1991 have been adopted.

(i) *Population*:—

(a) *In rural areas*:

3000 population in a group of villages (including the PPO villages).

(b) *In the hilly, tribal, desert and Inaccissible areas*:—

500 population in an individual village or 1000 population in a group of villages.

(ii) *Distance*:—

(a) *In normal areas*:—

The minimum distance from the nearest existing post office will be 3 kms.

(b) *In hilly, tribal, desert and Inaccessible areas*:—

The distance limit will be the same as above except that in hilly areas, the minimum distance limit can be relaxed by the Directorate in cases where such relaxation is warranted by special circumstances which should be clearly explained while submitting a proposal.

(iii) *Anticipated income*:—

(a) *In normal, areas*:—

The anticipated minimum revenue will by 33⅓ per cent of cost.

(b) *In hilly, tribal, desert and Inaccessible areas*:—

The minimum anticipated income will be 15 per cent of the cost.

Departmental sub post offices (Plan)

Since November, 1987, Departmental sub post-offices are also sanctioned under